कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर।
आदेश

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 प्रथम, मीरजापुर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 23.09.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उनके न्यायालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री घनश्याम सिंह की कोविड–19 कोरोना चेकअप कराये जाने पर उनकी रिपोर्ट पाजिटिव आयी है।

उक्त आख्या के परिपेक्ष्य में जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मीरजापुर से आख्या आहूत किये जाने पर मुख्य चिकित्साधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक– 1753/ मु0चि0अ0/कोविड–19/2020–21 दिनांकित 23.09.2020 के द्वारा उपरोक्त स्थिति में संक्रमण को रोकने के लिए परिसर को पूरी तरह से सेनेटाइजेशन किये जाने के लिए 48 घंटे/2 दिन के लिए न्यायालय पूर्ण रूप से बन्द किये जाने हेतु अवगत कराया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 1117/ LXXXVII/ CPC/ eCourts / Allahabad / Dated 03.06.2020 के माध्यम से निर्गत गाईडलाईन के पैरा 14 एवं 15 में निर्देशित किया गया है कि

पैरा 14 – Wherever any Court campus is covered under the containment zone, such Court shall remain closed as per the resolutions of this Court dated 02.05.2020 read with resolution of this Court dated 25.03.2020, till such time the concerned District Court of Outlying court continues to remain in Containment Zone. Therefore, The presnet scheme shall apply. Necessary reports in this regard, be obtained by the District Judges from the District Administration on regular basis.

पैरा 14 – Where the District Administration C.M.O. concerned is of the opinion that the District Outlying Court campus should be closed for a particular period and/or the District Judge is of the opinion that the District Court/Outlying Court should be closed for particular period, then the District Court/Outlying Court may be closed for the said period and intimation mentioning the specific reason may be sent to Allahabad High Court.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र संख्या– 1293/ LXXXVII/ CPC/ eCourts / Allahabad / Dated 16.07.2020 के द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देश दिनांकित 03.06.2020 के प्रस्तर–1 में ही संशोधन किया गया है। प्रस्तर 14 व 15 में उल्लिखित दिशा निर्देश यथावत प्रभावी हैं।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 1117/ LXXXVII/ CPC/ eCourts / Allahabad / Dated 03.06.2020 के प्रस्तर 15 सपठित पत्र संख्या– 1293/ LXXXVII/ CPC/ eCourts / Allahabad / Dated 16.07.2020 में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुपालन के 24.09.2020 एवं दिनांक 25.09.2020 को दीवानी न्यायालय मीरजापुर न्यायालय परिसर के सेनेटाइजेशन के उद्देश्य से पूर्णतः बन्द रहेगा। उपरोक्त अवधि में पूर्ण न्यायालय परिसर एवं अधिवक्ता के चैम्बर इत्यादि का सेनेटाइजेशन प्रभारी अधिकारी नजारत एवं केन्द्रीय परिसेवी के निर्देशन में कराया जाय तथा सेनेटाइजेशन के बाद आख्या मेरे समक्ष प्रस्तुत की जाय।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1298/ LXXXVII/ CPC/ eCourts / Allahabad / Dated 28.07.2020 एवं ई–मेल दिनांकित 05.08.2020 के अनुपालन में न्यायिक कार्य संपादित किये जाने हेतु निर्धारित तौर तरीके (Modalities) व तंत्र

(Mechanism) के अनुसार न्यायालय बंद रहने की अवधि के दौरान न्यायिक कार्य संपादित किया जाय।

यह आदेश वाह्य स्थित न्यायालय चुनार एवं मड़िहान में लागू नहीं होगें। जिलाधिकारी मीरजापुर, मुख्य चिकित्साधिकारी मीरजापुर एवं अधिसाशी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर सम्पूर्ण न्यायालय परिसर, न्यायालय भवनो, अधिवक्तागण के चैम्बर तथा सभी परिसर आदि की पूर्णतया साफ, सफाई, सेनेटाइजेशन कार्य कराया जाना सुनिश्चित करे।

सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित की जाय, एवं दीवानी न्यायालय, मीरजापुर की वेबसाइट पर अपलोड की जाय।

सर्वसम्बन्धित तदनुसार तत्काल सूचित हों।

दिनांक : 23.09.2020

(लालचन्द्र गुप्ता) 23-9-20
जनपद न्यायाधीश
मीरजापुर।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– श्रीमान् महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2– प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मीरजापुर।
3– जिलाधिकारी, मीरजापुर।
4– पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
5– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मीरजापुर।
6– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।
7– अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसिएशन, मीरजापुर।
8– जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर को सभी समाचारपत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
9– केन्द्रीय परिसेवी, जनपद न्यायालय, मीरजापुर।
10– सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, मीरजापुर को इस निर्देश के साथ कि तत्काल आदेश को जनपद न्यायालय, मीरजापुर की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जनपद न्यायाधीश
मीरजापुर। 23-9-20